न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 01/2021 (बांसवाड़ा आर्डर)

वासुदेव पिता लालजी त्रिवेदी, जाति ब्राहमण, निवासी पालेदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रताप पिता धूलजी, जाति ब्राहमण, निवासी पालेदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी गढ़ी दि0
16.02.2021 प्रकरण संख्या 12/2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री जितेन्द्र भट्ट अभिभाषक रेस्पो.सं.1

———::———

निर्णय **दिनांक 27–06–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पैत्रृक स्वामित्व एवं आधिपत्य के खसरा नंबर 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450 कुल रकबा 1.08 हैक्टर भूमि ग्राम लसाडा में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने बाप–दादाओं के समय से आराजी नंबर 417 जिसके साबिक नंबर 408 थे, आवागमन करता चला आ रहा है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आवागमन पर पत्थर की कच्ची कोट बनाकर अवरूद्ध कर दिया है। अतः आराजी नंबर 417 से 30 फिट चौड़ा रास्ता कायम कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गढ़ी से रिपोर्ट पर कर अपने निर्णय दिनांक 16–02–2021 से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested

मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 19–03–2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र भट्ट उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट को अपनी खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गढ़ी को 3 बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा एवं तहसीलदार ने भी माना कि अपीलान्ट को निम्न स्थान पर रास्ता दिया जाना चाहिए, जिससे अपीलान्ट को राहत मिल सके, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट का पूर्ण विवेचन किये बिना ही रास्ते का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया रास्ता दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का विधिवत विवेचन करते हुए अपीलान्ट के पास अन्य रास्ता उपलब्ध होने के कारण उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार गढ़ी ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु सबसे कम दूरी का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में सर्वे नंबर 417 में से 0.02 हैक्टर एवं सर्वे नंबर 430 में से 0.03 हैक्टर कुल 0.05 हैक्टर रास्ता प्रस्तावित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सबसे कम दूरी का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना माना है, किन्तु मात्र कयासी आधारों पर यह मानते हुए कि प्रार्थी के सर्वे नंबर पर पहुंच के लिए अन्य रास्ता पर उपलब्ध है, भले ही वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested

सबसे कम दूरी का नहीं हो। उक्त आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 16–02–2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रास्ते बाबत् विधिवत रिपोर्ट तलब कर यदि अन्य कोई रास्ता उपलब्ध है तो वह कितनी दूरी का है तथा सबसे कम दूरी का रास्ता कितना लम्बा है, इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–08–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested